

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक-शिविरा/मा/साप्र/बी-1/2856/आरपीएससी-2013/17-18 दिनांक-22.02.2018 संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक-प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 जयपुर दिनांक-08.02.2018, निदेशक महोदय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक-25.02.2018 एवं दिनांक-28.02.2018 राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम -1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों से "कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013" में चयनित सूची में से निम्नांकित अशार्थियों को इस जिले के सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इनकी नियुक्ति इनके नाम के सम्मुख वर्णित पद एवं पदस्थापन स्थान राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक-7(2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक-20.01.2006 एवं वित्त (नियम डिवीजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ-15(1) एफडी/रूल्स/2017 के शैड्यूल-IV के प्रावधानानुसार 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- पर की जाती है।

(सलगन आदेश संख्या-03)

कार्यालय अध्यक्ष इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व इनके सभी दस्तावेजों की जांच कर लें तथा नियुक्ति से पूर्व व नियुक्ति के पश्चात की जाने वाली समस्त शर्तों की पूर्ति अपने स्तर पर कराकर ही इन्हें नियुक्ति स्थान पर दिनांक 27.03.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। कार्यग्रहण की सूचना एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियां इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

कार्यालय अध्यक्ष आशार्थी से निम्न तथ्यों की जांच/अभिलेख प्राप्त कर स्वयं की संतुष्टि के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें।

1. राज्य सरकार के राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदक की शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र की पूर्ण जांच कर लें।
 2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक/क-2/(95) दिनांक - 08/04/03 के प्रावधानानुसार दिनांक -01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न होने की स्थिति में उक्त आशार्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे नियुक्ति के पश्चात यदि कोई भी दस्तावेज गलत पाया जाता है तो ये नियुक्ति समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होगी।
 3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार के भत्ते, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
 4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
 5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
 6. प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स पारिश्रमिक से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13/3/06 के प्रावधानानुसार दिनांक 20.01.06 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को चयनित वेतनमान देय नहीं होगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित को कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।
 7. सदाचार (पुलिस सत्यापन) रिपोर्ट/ जन्मतिथि/शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों वैधता/ मान्यता सुनिश्चित करें तथा मूल प्रति से मिलान किया जावे तथा दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा देय चरित्र प्रमाण पत्र तथा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा देय प्रमाण पत्र प्राप्त करें। शेष शर्तें राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के तहत ही होंगी। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लायी जावेगी।
- नोट:-संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र चैक कराने हेतु कार्यालय हाजा में भेजेगें।

(महेन्द्र कुमार यादव)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक, धौलपुर

दिनांक 12/03/18.

क्रमांक : जिशिअ/मा0/धौ/संस्था-1/कनि.सहा./फा-सीधी भर्ती 13/840

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप -3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. श्रीमान उपशासन सचिव महोदय कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
4. श्रीमान शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक भरतपुर संभाग भरतपुर
5. प्रधानाचार्य/प्र0अ0.....को नियुक्ति आदेश की प्रति के साथ मूल आवेदन देकर निर्देशित किया जाता है कि मूल आवेदन को सम्बन्धित की निजि पत्रावली में संधारित किया जावे।
6. संबंधित श्री
7. निजी/रक्षित पत्रावली

(प्रमिला श्रीवास्तव)

अति0 जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, धौलपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर

आदेश संख्या—03

क्रसं	वरियता कर्मांक	भरिट न०	नाम अभ्यर्थी	जन्म तिथि	आवेदित वर्ग	पिता का नाम	पता	अवेदन में उल्लेखित गृह जिला	पदस्थापन सीन(सामावि / साबामावि / साउमावि / साबाउमावि)	जिला धौलपुर
1	3	4984	ASHEESH KUMAR MITTAL	01/08/1987	GE,LD	HAREEOM MITTAL	HOSPITAL ROAD BARI	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL SARMAATHURA BASERI	DHOLPUR
2	651	755	BAKEEL KHAN	16/09/1995	BC	DEEVAN KHAN	VILL-ANGAI	DHOLPUR	GOVT.SEC.SCHOOL KHERLI RAJAKHERA	DHOLPUR
3	693	1644	PUSPENDRA SINGH	07/02/1990	BC	LAXMAN SINGH	VILL-KHERALI	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL HATHWARI RAJAKHERA	DHOLPUR
4	773	2506	MANOJ KUMAR UPADHYAY	01/01/1989	GE	MUNNA LAL UPADHYAY	UMANAGAR NEAR CHOPRA MANDIR	DHOLPUR	GOVT.SEN.SEC.SCHOOL BARAULI BASERI	DHOLPUR
5	1377	5332	SATENDRA	02/08/1989	SC	LAXMAN	NAYAWASH BASERI THE-BASERI DISRTRIT-	DHOLPUR	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BADAGAW BASERI	DHOLPUR
6	1393	5363	JITENDRA KUMAR	27/03/1995	SC	BANWARI LAL	VPO-DHANAUURA,THE-BARI, DIST-DHOLPUR	DHOLPUR	GOVT.GIRLS.SEN.SEC.SCHOOL SARMAATHURA BASERI	DHOLPUR

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक धौलपुर